राजस्थान सरकार
पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः प.1(44)निपेवि/स्था/2014/पार्ट–II/ दिनांक

<u>विज्ञप्ति</u>

राज्य सरकार द्वारा प्री–2016 के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर की पेंशन संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। उक्त कार्य को छः माह मे पूर्ण किये जाने हेतु राज्य के कोषालयो में 51 व पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर निदेशालय में 10 एवं पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर के 5 क्षेत्रीय पेंशन कार्यालयों (अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर) हेतु 5 दलों का गठन किया गया है। दलो के गठन हेतु सेवानिवृत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, कनिष्ठ लेखाकार (ऑडिटर), मंत्रालयिक कर्मचारी, रेकार्डकीपर एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आवश्यकता है। उक्त दलो में कार्य करने हेतु पेंशन विभाग व उक्त क्षेत्रीय कार्यालय हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.17(10)डीओपी/ए–II/94 दिनांक 08.02.2018 राज्य सरकार से सेवानिवृत कार्मिक संबंधित कार्यालयो में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। प्राप्त आवेदन पत्रो पर विचार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित पत्रादि प्रस्तुत करना आवश्यक है :–

1. कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक एफ.17(10)डीओपी/ए–II/94 दिनांक 8.2.2018 के तहत निर्धारित सेवानिवृति विभाग/कार्यालयाध्यक्ष से प्रमाणित आवेदन पत्र। 2. पेंशन भुगतान आदेश की छाया प्रति 3.सेवानिवृत कर्मचारी का परिचय पत्र/आधार कार्ड 4.वर्तमान निवास का पूर्ण पता

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

Scanned by CamScanner